निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 08 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के माह 07/2015 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14/005/2018 से 19/05/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानू प्रताप सिंह, श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री पारस शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09/05/2015 से 15/06/2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण का अनुश्रवण एवं दिशा निर्देश जारी करना, कुमायु क्षेत्रो में, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	-	134.53	133.41	-	-	-	1.72
2016-17	--	-	168.15	161.63	-	-	-	6.52
2017-18	-	-	190.35	189.95	-	-	-	0.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः(सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 00/2017, 04/2018, 05/2016 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -दो 'ब'

प्रस्तर - 1- रु॰ 52.58 लाख का अनियमित व्यय ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो.नि.वि., रानीखेत के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से सड़को के अनुरक्षण / रख रखाव हेतु मेट / बेलदारों की आपूर्ति के लिए M/s Mass Services Private Limited, New Delhi के साथ अनुबंध (संख्या 46/अ.अ. दिनांक 20.12.2014) का गठन किया गया था जिसकी अवधि 20.12.2014 से 19.12.2015 थी। अनुबंध के अनुसार अनुबंधित अवधि में 730 Nos. एवं 15330 Nos. क्रमश: मेट एवं बेलदार के सेवा प्रदान की जानी थी जिस पर रु.43.06 लाख की राशि व्यय की जानी थी। संस्था के द्वारा 19.12.2015 के सापेक्ष 28.02.2017 तक 1098.50 Nos. एवं 18488.00 Nos. क्रमश: मेट एवं बेलदार की सेवा प्राप्त की गयी थी और इस मद पर रु.43.06 लाख के सापेक्ष रु.52.58 लाख की राशि व्यय की गयी थी।

कार्यालय में मेट/बेलदारों के कार्यरत पद की संख्या स्वीकृत पद के समतुल्य होने यथा कोई रिक्त पद नहीं होने के बावजूद कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, रानीखेत के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से सड़को के अनुरक्षण / रख रखाव हेतु मेट / बेलदारों की आपूर्ति के लिए M/s Mass Services Private Limited, New Delhi के साथ अनुबंध का गठन किया गया था।

पुनः खंड द्वारा अनुबंध की अवधि 19.12.2015 को समाप्त होने के बावजूद बगेर सक्षम अधिकारी के अनुमति के दिनांक 19.12.2015 से दिनांक 28.02.2017 तक बढ़ाया गया था।

विभागीय उत्तर मे बताया गया की इस खंड की वर्ष 2014 मे जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्गो की पक्की सतह की लंबाई 328.00 किमी॰ एवं कच्ची सतह की लंबाई 37.00 किमी॰ थी। मुख्य अभियंता कार्यालय, अल्मोड़ा के पत्रांक 1819/505 याता. दिनांक 22/2/14 के द्वारा दिये गए मानको के अनुसार रख रखाव हेतु 133 बेलदार एवं 18 मेटो की कुल आवश्यकता थी। जबकि विभाग मे 81 बेलदार एवं 12 मेट कार्यरत थे। आगे बताया की अनुबंध की वैधता बढ़ाने के संबंद मे वृत्तीय कार्यालय के पत्रांक 1198/5 ई॰सी॰-01/16 दिनांक 9.3.2016 द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय, अल्मोड़ा एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध भी किया गया था, जिसकी प्रति खंड को पृष्ठांकित है परंतु उक्त संबंध मे स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव मे अनुबंध का अंतिमिकरण नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मेट एवं बेलदारों की कुल स्वीकृत संख्या 65 है एवं उसके सापेक्ष 65 कार्यरत है इस प्रकार उनका कोई पद रिक्त नहीं है तथा उक्त पदो के स्वीकृति के समय मार्गो की लंबाई मे आथिति तक कोई परिवर्तन नहीं है विभाग द्वारा मेट एवं बेलदारों की आवश्यकता के मानक लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए है, साथ ही विभाग के उत्तर से स्पष्ट है की अनुबंध की वैधता सक्षम अधिकारी के द्वारा बढ़ाने की अनुमति प्राप्त नही है। इस प्रकार मेट एवं बेलदारों की स्वीकृत पद भरे जाने के बावजूद भी, मार्गो की लंबाई में कोई परिवर्तन नही होने तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नही होने पर भी नियमो के विपरीत अनुबंध का गठन करना एवं उसको बढ़ाते हुए लागत रुपया 52.58 का अनियमित परिहार्य व्यय किया गया।

अतः रु॰ 52.58 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(ब)

प्रस्तर- 2:- अन्तिम देयक के भुगतान के बाद अर्थ-दंड अधिरोपित किए जाने के कारण अर्थ-दंड की वसूली नहीं किया जाना

राज्य योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर-मार्ग को बीएम/एसडीबीसी द्वारा सतह सुधारिकरण के कार्य के लिए रु 7.00 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (संख्या :- 725/III-2/14-56 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08 फ़रवरी 2014) प्रदान की गयी थी। इस स्वीकृति के अंतर्गत 22 किमी में में मार्ग का सुधारिकरण किया जाना था। इस कार्य की कार्यादायी संस्था निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा थी। उतनी ही लागत के लिए कार्य की प्रविधिकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के द्वारा 28 फ़रवरी 2014 को प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए रु 6.99 करोड़ के लागत से अनुबंध-संख्या :- 22/SE-I/2014 दिनांक 04.03.2014 का गठन किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की निर्धारित तिथि क्रमश: 04 मार्च 2014 एवं 03 सितम्बर 2015 थी। 403 दिनो के देरी के कारण दिये गए समय वृद्धि के बाद कार्य समापन की तिथि 10 अक्तूबर 2016 थी। समय वृद्धि के कारण 0.25% अर्थ-दंड आरोपित किए गए थे।

उपरोक्त कार्य में दिये गए समय-वृद्धि से संबन्धित कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के संचिका संख्या:- 1289/ याता0 -अ0/2018 में अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा समय-वृद्धि से संबन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को प्रेषित पत्र 812/253 सी0-91/18 दिनांक 10.04.2018 से ज्ञात होता है कि अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा समय-वृद्धि के सन्दर्भ में प्रेषित Application for Extension of time से यह ज्ञात होता है कि 403 दिनो के लिए समय-वृद्धि मांगी गई थी। समय-वृद्धि प्राप्त करने के लिए कारणो को उल्लेख करते हुए है यह बतलाया गया था कि सभी कारण मौसम जनित है जबकि यह विदित है कि अनुबन्ध के अवधि 04 मार्च 2014 से 03 सितम्बर 2015 तक दो वर्षा ऋतु एवं एक शरद ऋतु होनी आवश्यक थी। यह भी पाया गया था कि कार्य 547 दिनो सापेक्ष 950 दिनो में पूर्ण किया गया था जो कि निर्धारित अवधि से 74 प्रतिशत से अधिक दिनो में पूर्ण किया गया था किन्तु कार्य पूर्ण होने में देरी के कारण केवल 0.25 प्रतिशत का आर्थिक दंड आरोपित किया गया था। पुनः

यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य के अन्तिम देयक का भुगतान 19 मई 2018 को किया जा चुका था जबकि अधिशासी अभियंता के पत्र दिनांक 22मई 2018 से ज्ञात होता है कि समय-वृद्धि का प्रकरण अभी तक लंबित है।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र में हॉटमिक्स के लिए मौसम अनुकूल नहीं रहता है। पुन: 74 प्रतिशत से अधिक के देरी पर सिर्फ 0.25 प्रतिशत अर्थ-दंड लगाने के कारणो के संबंध में बतलाया गया कि Standard Bidding Document में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अर्थ-दंड की वसूली नहीं किए जाने के संबंध में बतलाया गया कि इसकी वसूली रोकी गई राशि `52.37 लाख में से कर ली जाएगी।

कार्यालय का उत्तर किसी भी बिन्दु पर मान्य नहीं है। कार्यालय द्वारा यह कहना कि अर्थ-दंड की वसूली रोकी गई राशि `52.37 लाख में से कर ली जाएगी भी तर्क संगत नहीं है क्योंकि अंतिम देयक से यह परिलक्षित नहीं होता है कि खंड द्वारा किसी भी तरह की राशि रोकी गई थी। कार्य द्वारा यह भी स्वीकार किया गया था कि समय वृद्धि का प्रकरण सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त नहीं होने के अर्थ-दंड की वसूली नहीं की जा सकी थी।

अत: प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	
50/2006-07	-	1,2,3,4,5,6	
62/2012-13	-	01	
23/2015-16	-	01	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
50/2006-07 62/2012-13 23/2015-16	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या 1,2,3,4,5,6 01 01		उच्चाधिकारियों को संस्तुति के अभाव में अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखे जाने हेतु प्रस्तावित है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
(i)	श्री के के श्रीवास्तव	पिछली लेखापरीक्षा से 09/07/2015 तक
(ii)	श्री के पी जोशी	09/07/2015 से अब तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित वित्त नियंत्रक कार्यालय से संबंद्ध रहे।**

(i) ----- लागू नहीं ------

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II